न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 54 / 2017
दायर दिनांक – 20 / 07 / 2017
निर्णय दिनांक – 14 / 06 / 2018

अनवान

1. हीरालाल पिता रामपाल लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा

वादी

विरूद्ध

1. लालुराम पिता रामपाल लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा
2. किशनलाल पिता रामपाल लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा
3. देवीलाल पिता रामपाल लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा
4. लक्ष्मी देवी पिता रामपाल लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा
5. बबू देवी पिता रामपाल लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा
6. ललित कुमार चतरभुज लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा
7. सीता देवी पिता चरतभुज लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा
8. अनिता देवी पिता चतरभुज लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा
9. गोटी देवी पत्नि चरतभुज लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन एंव स्थाई निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन के प्रस्तुत किया कि ग्राम माउ की सरहद में स्थित वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायात 9 के सयुंक्त एंव आधिपत्य की आराजी संख्या 155, 173 कुल किता 02 कुल रकबा 03–19 बीघा भूमि स्थित है। वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/12 वा हिस्सा, राजस्व रेकार्ड में अंकित है व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 वा हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6 से लगायात 9 का सयुंक्त रूप से 1/2 हिस्सा है।वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का विभाजन पूर्व मे लगभग 20 वर्ष पहले आपसी सहमति से आधार पर हो चुका है जो पृथक पृथक रूप से खेतीबाडी कर रहे है तथा पृथक पृथक रूप से ही अपने हिस्से अनुसार काबिज है तथा भूमि के विकास के लिए वादी राजस्व रेकार्ड में विभाजन कराकर मौके पर स्वतंत्र आधिपत्य प्राप्त करना चाहता है तथा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

राजस्व रेकार्ड मे भी अपना स्वंतत्र अंकन कराना चाहता है। जिससे वादी द्वारा वादपत्र की पेरा संख्या 2 के हिस्से अनुसार विभाजन मिटस एण्ड बोडस के आधार पर कराया जाने का निवेदन किया गया है। पत्रावली प्रारम्भिक डिकी की पालना में नियत थी कि प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2018 के तहत ग्राम पंचायत गोगाथल पर आयोजित शिविर में रखा गया। दौराने शिविर वादीगण एवं प्रतिवादी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा ने शिविर के दौरान विभाजन फहरिस्त मय अनुशंषा के प्रस्तुत की गयी। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन फहरिस्त अनुसार पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।

क.स.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	हीरालाल पिता रामपाल लौहार सा.देह खातेदार	173/1	00–07	2.45
	योग	किता – 01	00–07	2.45
2	लालुराम, किशनलाल, देवीलाल, लक्ष्मीदेवी, बबूदेवी पिता रामपाल 65/144, ललित कुमार, सीमादेवी, अनितादेवी पिता चतरभुज, गोटी देवी पति स्व. चतरभुज 79/144 लौहार सा. देह खातेदार	173 मीन 155	02–15 00–17	19.25 5.75
	योग	किता – 02	03–12	25.00

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक–पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 14/06/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर कैम्प कोर्ट पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :– शक्ति सिंह भाटी आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या :– 54/2017

अनवान

वादी पक्ष :–

1. हीरालाल पिता रामपाल लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1. लालुराम पिता रामपाल लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा
2. किशनलाल पिता रामपाल लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा
3. देवीलाल पिता रामपाल लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा
4. लक्ष्मी देवी पिता रामपाल लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा
5. बबू देवी पिता रामपाल लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा
6. ललित कुमार चतरभुज लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा
7. सीता देवी पिता चरतभुज लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा
8. अनिता देवी पिता चतरभुज लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा
9. गोटी देवी पत्नि चरतभुज लौहार निवासी माउ तहसील रेलमगरा
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा

दावा :– विभाजन
वादी की ओर से :– परसराम जाट
प्रतिवादी की ओर से :–

में इस आशय मे दिनांक 14/06/2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन फहरिस्त अनुसार ग्राम माउ के आराजी संख्या 155,173 कुल किता 02 कुल रकबा 03–19 बीघा का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1	हीरालाल पिता रामपाल लौहार सा.देह खातेदार	173/1	00–07	2.45
	योग	किता – 01	00–07	2.45
2	लालुराम, किशनलाल, देवीलाल, लक्ष्मीदेवी, बबूदेवी पिता रामपाल 65/144, ललित कुमार, सीमादेवी, अनितादेवी पिता चतरभुज, गोटी देवी पति स्व. चतरभुज 79/144 लौहार सा. देह खातेदार	173 मीन 155	02–15 00–17	19.25 5.75
	योग	किता – 02	03–12	25.00

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक–पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पूर्वानुसार रहन यथावत रखा जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 14/06/2018 को मेरे हस्ताक्षर और मोहर से जारी की गई।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा